

कार्यालय अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया(म.प्र.)

टेलीफोननं. 07522-234001

Website- www.datiamedicalcollege.com

E mail Id- datiamedicalcollege@gmail.com & datiamedicalcollege2018@gmail.com

पता- 29 बटालियन के पास, एन.एच. 44, जिलादतिया, म.प्र. पिनकोड- 475661

क्रमांक-401 /द.चि.म./2022

दतिया दिनांक - 13/01/2022

// विज्ञप्ति //

Covid-19 महामारी के रोकथाम हेतु चिकित्सा महाविद्यालयों में मानव, संसाधन सुनिश्चित करने हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र क्र. एन.एच.एम./एच.आर./2021/444 भोपाल, दिनांक 28/09/2021, संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 605/संचिषि/एचआर/19/2021 भोपाल, दिनांक 29/09/2021 आयुक्त चिकित्सा शिक्षा के पत्र क्र. 1524/संचिषि/विविध/2021 भोपाल, दिनांक 30/12/2021 के क्रम में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया में स्वीकृत अतिरिक्त मानव संसाधन की विभिन्न अस्थाई पदों की पूर्ति की जानी है।

कोविड-19 महामारी की तीसरी लहर को देखते हुए आयुक्त चिकित्सा शिक्षा म.प्र. द्वारा वीसी के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि बचे हुए अतिरिक्त मानव संसाधन पदों की भर्ती अतिशीघ्र पूर्ण की जाए। उपरोक्त क्रम में स्वीकृत अतिरिक्त अस्थाई मानव संसाधन की भर्ती दिनांक 30/12/2021 से 60 दिवस तक रखने की अनुमति प्रदान की गई है।

चयनित अस्थाई मानव संसाधन को मानदेय आहरण राज्य बजट कोविड-19 के अन्तर्गत मद से मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया द्वारा किया जायेगा। यह नियुक्ति दिनांक 27.02.2022 तक के लिये है जिसे शासन के निर्देशानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।

उम्मीदवार अपना आवेदन निर्धारित प्रारूप में भरकर शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 29 वी बटालियन के पास NH-44, दतिया म.प्र. में जमा करें। भर्ती पद की शैक्षणिक योग्यता होने पर संबंधित का चयन वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर किया जायेगा। वॉक इन इंटरव्यू विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक के अगले दिवस से प्रतिदिन आयोजित किये जायेंगे। अतः इच्छुक उम्मीदवार अपना आवेदन एवं दस्तावेज लेकर महाविद्यालय में अतिशीघ्र उपस्थित हों।

वॉक इन इंटरव्यू का समय- प्रतिदिन सुबह 11:00 बजे से

वॉक इन इंटरव्यू का स्थान- कॉलेज काउंसिल हॉल, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र.

OK
प्रभारी एन.एच.एम.
शा.चि.म.दतिया

निम्नलिखित पदों पर भर्ती की जाना है

क्र.	पदनाम	पद संख्या	शैक्षणिक योग्यता	पंजीयन की स्थिति	मासिक मानदेय
1	वैज्ञानिक	03	1. First class master's degree in relevant subject (Medical Microbiology/virology/ Microbiology/Biotechnology) from a recognized University. 2. Second class M.Sc+Ph.D degree in relevant subject (Medical Microbiology/virology/ Microbiology/ Bio Technology) from a recognized University		एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
2	लैब टैक्नीशियन	11	12वीं बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा लैब टैक्नीशियन	पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन	एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
3	ईसीजी टैक्नीशियन	06	12वीं बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा ईसीजी टैक्नीशियन	पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन	एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
4	एक्सरे टैक्नीशियन	04	12वीं बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा एक्सरे टैक्नीशियन	पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन	एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
5	ओटी टैक्नीशियन	04	12वीं बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं डिप्लोमा ओटी टैक्नीशियन	पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन	एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
6	ऑक्सीजन टैक्नीशियन	03	12वीं बायोलॉजी उत्तीर्ण एवं मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित विषय में डिग्री डिप्लोमा प्रमाण पत्र (PSA/Oxygen Plant Technician)	पैरामेडिकल काउंसिल में जीवित पंजीयन	एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
7	डाटा एन्ट्री ऑपरेटर	02	12वीं उत्तीर्ण एवं कम्प्यूटर डिप्लोमा		एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय
8	वार्ड वॉय	25	12वीं बायोलॉजी, केमिस्ट्री तथा फिजिक्स विषय सहित (10+2) शिक्षा पद्धति में 12 वीं उत्तीर्ण		एन.एच.एम. द्वारा निर्धारित मानदेय

3. अप्रैल 2022 तक की संख्या में भर्ती या वृद्धि की जा सकती है
- उपरोक्त नियुक्ति एन.एच.एम. के अंतर्गत महामारी से बचाव हेतु की जा रही है जिसकी अवधि दिनांक 27.02.2022 तक के लिये है जिसे शासन के निर्देशानुसार घटाया अथवा बढ़ाया जा सकेगा।
 - चयनित अभ्यर्थियों का मासिक मानदेय एन.एच.एम. के मापदण्डों के आधार पर देय होगा।
 - आवेदन का बंद लिफाफा मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, 29 वीं वटालियन के पास NH-44, दतिया म.प्र. के नाम भेजे अथवा जमा करें। लिफाफे पर पद उल्लेख अनिवार्य रूप से करें।
 - चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
 - अधिक जानकारी शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया की वेबसाइट www.datiamedicalcollege.com पर उपलब्ध है। कृपया समय-समय पर उसका अवलोकन करें।

निरर्हताएं :-

- विकृत चित्त वाला होने पर।
- दुश्चरित्र होने पर।
- शारीरिक दुर्बलता होने के कारण व्यक्ति अपने कर्तव्य बोध एवं दायित्व को पूरा नहीं कर सकता हो।
- नियुक्ति के लिये प्रयास/अनुशंसा- किसी भी उम्मीदवार की ओर से अपनी उम्मीदवारी की सहायता प्राप्त करने हेतु किसी भी जरिये से किया गया कोई भी प्रयास/अनुशंसा उसके लिये अनर्हकारी माना जावेगा।
- विवाह संबंधी- जिस उम्मीदवार ने न्यूनतम निर्धारित आयु (पुरुष वर्ग के लिए 21 वर्ष एवं महिला वर्ग के लिए 18 वर्ष) से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा। कोई भी ऐसे महिला/ पुरुष उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे पुरुष/महिला से विवाह किया हो, जिसकी पहले से जीवित पत्नी/पति हो ऐसे महिला/पुरुष नियुक्ति के लिये पात्र नहीं होंगे।
- जिस आवेदक की 2 से अधिक संतान हो एवं जिसमें से तीसरी संतान का जन्म दिनांक 26/01/2001 को या उसके पश्चात् हुआ हो नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। (दो या दो से कम संतान वाले आवेदक शपथ पत्र प्रस्तुत करें।)
- कूट रचित/फर्जी दस्तावेज एवं चयन के स्तर पर जानकारी छिपाये जाने/अभिलेख फेरबदल कर प्रस्तुत करने पर।
- कदाचरण संबंधी किसी ऐसे उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा या उसने शासन या स्थानीय प्राधिकारी की सेवा के कदाचरण के लिए परिणामस्वरूप पदच्युत कर दिया गया हो यदि उसे नैतिक पतन के अपराध पद दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- ऐसे उम्मीदवार जिनके विरुद्ध नैतिक पतन का अपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन हैं, अथवा नैतिक पतन के अपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।
- स्वास्थ्य संबंधी-मानसिक रूप से स्वस्थ न होने पर किसी उम्मीदवार को सेवा या पद पर नियुक्त नहीं किया जावेगा जब तक की वह राज्य शासन के ऐसे चिकित्सा अधिकारी, जिसका पद सिविल सर्जन से कम न हो, के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण पश्चात् अच्छी तरह से शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ पाया जाए, तथा वह ऐसा प्रमाण पत्र जारी करे।

महत्पूर्ण टीप :- यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे अपने आवेदित पत्र की निर्धारित समस्त अर्हतायें और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने से पहले आवेदक अपनी अर्हता की पुष्टि स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तें पूरा करने पर ही आवेदन पत्र भरें। चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जावेगी। आवेदक के विरुद्ध पुलिस प्रकरण अथवा किसी भी प्रकार की जांच न हो जिसके कारण आवेदक की नियुक्ति प्रभावित हो, इस आशय से संबंधित घोषणा पत्र जो की आवेदन के प्रारूप में दिया गया है। यह शर्त उसमें सम्मिलित रहेगी।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया म.प्र.

प्रमाणित
शा.चि.म. दतिया

पृष्ठांकन क्रमांक- 401-09 / द.चि.म. / 2022

दतिया, दिनांक- 13/01/2022

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित की ओर सूचनार्थ हेतु प्रेषित-

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा, म.प्र. शासन भोपाल म.प्र.
2. आयुक्त, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.
3. आयुक्त, ग्वालियर संभाग एवं अध्यक्ष, शा.चि.महा. स्वशासी समिति, दतिया।
4. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन म.प्र.।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, भोपाल म.प्र.।
6. कलेक्टर, जिला-दतिया म.प्र.
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला दतिया म.प्र.।
8. ओ.आई.सी. कोविड-19 संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय
दतिया म.प्र.

प्रमाणित
शा.चि.म. दतिया

आवेदन पत्र का प्रारूप

1. अभ्यार्थी का पूरा नाम :-.....
2. पिता/पति का नाम :-.....
3. जन्मतिथि/आयु :-.....
4. वर्ग (सामान्य/अ.जा.
/अ.ज.जा./अ.पि.व.) :-.....
5. घर/पत्र व्यवहारका पता :-.....
.....
6. आधार कार्ड संख्या :-.....
7. योग्यता/आर्हताएँ :-.....
.....
.....
8. जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र :-.....
9. ई-मेल :-.....
10. मोबाईल नं. :-.....

दिनांक :-...../...../2022

स्थान :-.....

नोट:- अभिलेखों की स्वयं द्वारा सत्यापित प्रति संलग्न करें।

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

आवेदक/आवेदिका के हस्ताक्षर
पूरा नाम:-

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र.

अनुबंध-पत्र

मैंने अपना आवेदन दिनांक के द्वारा की सेवाएँ हेतु शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, स्वशासी समिति दतिया म.प्र. में प्रस्तुत किया है। मैं स्वेच्छा से मानदेय पर दिनांक से लेकर दिनांक तक अस्थायी रूप से तीन माह हेतु Covid 19 नियंत्रण ऑपरेशन के लिए कार्य करने हेतु सहमत हूँ एवं अपनी सेवाएँ इस हेतु स्वेच्छा से प्रदान कर रह/रही है। मुझे इस हेतु दिया जाने वाला मासिक मानदेय स्वीकार है एवं दी गई समस्त सेवा शर्तें मान्य एवं मेरे द्वारा नियोजन के संबंध में माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का दावा/आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया जायेगा।

सेवा शर्तें :-

1. यह सेवाएँ पूर्ण रूप से अस्थायी होंगी एवं आकस्मिक सेवाओं के रूप में ली जा रही हैं, अतः इस सेवाओं को नियमित अथवा संविदा सेवा के लिए किसी भी दशा में मान्य नहीं किया जावेगा।
2. यह सेवाएँ एक निश्चित समयावधि के लिए ली जा रही हैं, जिसे आवश्यकता होने पर घटाया/बढ़ाया जा सकेगा। अतः निर्धारित अवधि पश्चात आदेश स्वतः समाप्त माना जावेगा।
3. उक्त मानव संसाधन की सेवाएँ शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. अथवा Covid 19 Control Operation में ही ली जा सकेगी।
4. उक्त पदों के नियंत्रणकर्ता अधिकारी मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. होंगे।
5. मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दतिया म.प्र. को समस्त दस्तावेजों की स्वप्रमाणित छायाप्रति एवं मेडीकल फिटनेस सर्टिफिकेट उपलब्ध कराकर सेवा प्रदाता कार्य दायित्व संभालेंगे।
6. अनुबंध के निष्पादन पर होने वाला व्यय संबंधित सेवा प्रदाता द्वारा स्वयं वहन किया जायेगा।